राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज-15-20, सैक्टर–4, पंचकूला, हरियाणा

फ़ोन नंबर: 0172-2571141,2571151

स्पोंसरशिप के लिए सूचना

हरियाणा सरकार की समेकित बाल संरक्षण स्कीम की ओर से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दी जा रही है 2000 प्रति माह की सुविधा!

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी, समेकित बाल संरक्षण स्कीम द्वारा अनाथ व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों जिनकी सालाना आय 24,000 (ग्रामीण क्षेत्र), 30,000 (अन्य शहरो) और 36,000 (मेट्रो शहरो) से कम हो उनके बच्चों की शिक्षा और बेहतर पालन पोषण के लिए स्पोंसरशिप की सुविधा दी जाती है।

कौन से बच्चे उठा सकते है स्पोंसरशिप का लाभ?

बच्चे की माता विधवा हो या तलाक हो गया हो या माता को परिवार ने बेसहारा छोड़ दिया हो

जो माता पिता किसी दुर्घटनावश बच्चे को पालने में शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है

वह बच्चे जो अनाथ है और विस्तृत परिवार के साथ रह रहें है

जिन बच्चों के माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है

अन्य आवश्यक शर्ते:

- यह स्कीम प्राप्त करने के लिए बच्चा निरंतर रूप से किसी स्कूल में जाता हो।
- बच्चा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/गैर सरकारी संस्थाओ से कोई आर्थिक लाभ न ले रहा हो।
- बच्चे का आधार पंजीकरण हो।
- बच्चे का अपना बैंक खाता नंबर हो।
- बच्चे का बैंक खाता उसके आधार से लिंक हो।

अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करें :-

राज्य स्तर पर संपर्क सूत्र:

राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बेज़–15–20, सैक्टर–4, पंचकूला

ईमेल: **sara.icps@gmail.com**, फ़ोन नंबर: **0172-2571141, 2571151**

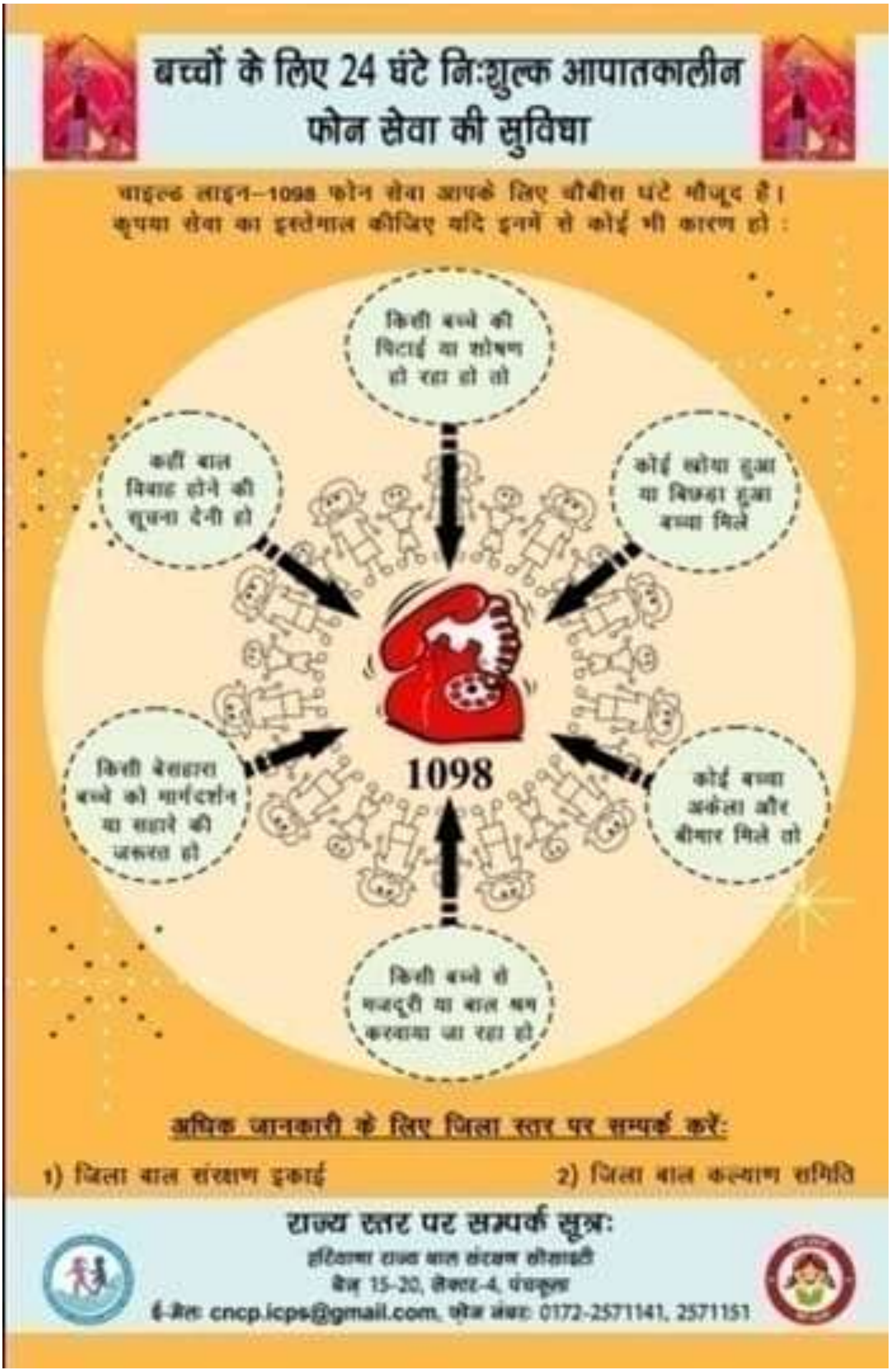
बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन
फोन सेवा की सुविधा
चाइल्ड लाइन–1098 फोन सेवा आपके लिए चौबीस घंटे मौजूद है।
कृपया सेवा का इस्तेमाल कीजिए यदि इनमें से कोई भी कारण हो :
किसी बच्चे की पिटाई या शोषण हो रहा हो तो
कहीं बाल विवाह होने की सूचना देनी हो
कोई खोया हुआ या बिछड़ा हुआ बच्चा मिले
किसी बेसहारा बच्चे को मार्गदर्शन या सहारे की जरूरत हो
1098
कोई बच्चा अकेला और बीमार मिले तो
किसी बच्चे से मजदूरी या बाल श्रम करवाया जा रहा हो
अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर सम्पर्क करें:
1) जिला बाल संरक्षण इकाई
2) जिला बाल कल्याण समिति
राज्य स्तर पर सम्पर्क सूत्र:
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
बेज़ 15-20, सेक्टर-4, पंचकूला
ई-मेल: cncp.icps@gmail.com, फोन नंबर: 0172-2571141, 2571151

राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज-15-20, सैक्टर–4, पंचकूला, हरियाणा
फ़ोन नंबर: 0172-2571141,2571151

फोस्टर केयर के लिए अपील

जनसाधारण से अपील की जाती है कि राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी, समेकित बाल संरक्षण स्कीम हरियाणा द्वारा फोस्टर केयर की सुविधा दी जा रही है। फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमे एक बच्चा अस्थायी रूप से किसी परिवार जो की उसके माता पिता या परिवार से सम्बंधित नहीं है उसके साथ रहता है। इच्छुक परिवार बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित समय के लिए बच्चे की देख भाल और उचित पालन पोषण करता है।

फोस्टर केयर की सुविधा के अंतर्गत कौन से बच्चे आते है ?

1. जिस बच्चे के माता पिता उसका पालन पोषण करने में बाल कल्याण समिति द्वारा सक्षम नहीं पाए जाते ।
2. जो बच्चे बाल देखभाल संस्थाओ में रह रहे है, गोद प्रक्रिया हेतु मुक्त है और गोद प्रक्रिया में नहीं गए है ।
3. ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मानसिक और शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर कारागार में है ।

कौन से दम्पति फोस्टर माता पिता बन सकते है ?

फोस्टर पैरेंट बनने के लिए दम्पति को निम्लिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1. दोनों भारतीय हो ।
2. दम्पति बच्चे को फोस्टर केयर में लेना चाहते हो ।
3. दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक हो और वे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।
4. वे बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो ।
5. उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड न हो ।

अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करें :-

राज्य स्तर पर संपर्क सूत्र:

राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
बेज़-15–20, सैक्टर-4, पंचकूला

ईमेल: sara.icps@gmail.com,
फ़ोन नंबर: 0172-2571141, 2571151

सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार है
प्यारे बच्चों,
चाइल्ड लाइन 1098 आपका दोस्त है।
यह फोन सेवा आपके लिए चौबीस घंटे मौजूद है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो तुरंत चाइल्ड लाइन 1098 पर मदद के लिए कॉल करे।
CHILD LINE 1098
आप चाइल्ड लाइन में कॉल करके सूचना देंगे अगर:
आपकी या आपके दोस्त की पिटाई या शोषण हो रहा हो।
आप जहां रहते है उस जगह में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या आपके साथ कोई गलत व्यव्हार हो रहा हो।
कोई भी व्यक्ति आपको या आपके दोस्त को परेशान करता है।
फ़ोन से 1098 डायल करे और अपनी परेशानी साँझा (शेयर) करे।
चाइल्ड लाइन 1098 जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए तत्पर है। चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध होगी।
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज–15–20, सेक्टर–4, पंचकूला, फोन नंबर: 0172–2571141, 2571151

जानिए चाइल्ड अब्यूज क्या है ???

बच्चों के शारीरिक, मानसिक या फिर यौन शोषण को चाइल्ड अब्यूज कहते है। अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कोई बड़ा व्यक्ति मारपीट, मानसिक रूप से परेशान या फिर यौन उत्पीड़न करता है तो उसे चाइल्ड अब्यूज की केटेगरी में रखा जाता है।

- स्कूल में बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना।
- किसी बच्चे के साथ गाली गलौच करना या उससे मौखिक रूप से प्रताड़ित करना।
- बच्चे को किसी ऐसी जगह छूना जहां वह असहज महसूस करे।
- बच्चे की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करना।
- बच्चे को किसी प्रकार गुमराह करना।
- बच्चे की मेडिकल जरूरतों को नजरअंदाज करना।
- बच्चे से किसी भी प्रकार का बाल श्रम करवाना
- बच्चे की शिक्षात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करना।
- बच्चे पर उत्पीड़न जैसे कि मार पीट करना
- बच्चे को बिना देख रेख के अकेला छोड़ना।
- बच्चे की बात पर गौर न करना व उसे नजर अंदाज करना।
- बेवजह बच्चे को चिढ़ाना, बच्चे की देखभाल न करना।
- बच्चे के आत्म-विश्वास को ठेस पहुंचना।
- बच्चे को अश्लील कार्य या साहित्य दिखाना।
- बच्चे को किसी ऐसी जगह छूना जहाँ वह असहज महसूस करे।
- बच्चे को आपको छूने के लिए मजबूर करना।

चाइल्ड अब्यूज क्या है?

बाल शोषण एक गंभीर समस्या है। यदि आपको कोई बच्चा शोषित या उपेक्षित लगता है तो पुलिस या अपनी स्थानीय जिला बाल संरक्षण इकाई को तुरंत कॉल करें।

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज़-15-20, सेक्टर-4, पंचकूला,
फोन नंबर: 0172-2571141, 2571151